न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री के0 राम यादव आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
46/2017	21.02.2017	26-6-19

उनवान

1. सुशीला पत्नि ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी सिधरावली तहसील जिला गुडगांवा हरियाण

वादीया

बनाम

1. रूजदार
2. खुर्शीद पुत्रान आसीन
3. हासव पुत्र भागमल जाति मेव निवासी माजरा पीपली तहसील तिजारा जिला अलवर
4. नरेश कुमार पुत्र घासीराम जाति महाजन निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
5. निजर खां पुत्र छंगा जाति मेव निवासी माजरा पीपली तहसील तिजारा जिला अलवर
6. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर

प्रतिवादी

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्मइम्तनाई दवामी
जेर दफा 53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रकरण इस प्रकार है कि वादीया ने प्रस्तुत वाद तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी जेर दफा 53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत आराजी हाल खसरा नम्बर 191/0.9200, 142/0.0800, 143/0.0900 वाके ग्राम माजरा पीपली जो वादी व प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 को संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है, के बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किये जाने व प्रतिवादीगण वादिया को उनके खातेदारी भूमि से बेदखल नहीं करेकब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे, मौका व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 29.6.2017 को प्रारम्भिक निर्णय पारित किया जाकर तहसीलदार से कुर्रे रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार के पृष्ठाकंन क्रमांक भू.अ./2018/4423 दिनांक 24.7.2018 द्वारा कुर्रे रिपोर्ट न्यायालय को प्राप्त हुई।

अतः दावा फाईनल डिक्री किया जाकर सारणी अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में अमल हो। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे, मौका व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

प्रस्तुत वाद म विवादित आराजी ...

नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	किस्म भूमि	लगान
[illegible] पुत्र ओमप्रकाश अहीर सा. [illegible] तहसील व जिला गुड़गांवा खातेदार	143/2	0.0850	दहरी	0.61
	191/3	0.3066	दहरी	2.17
	किता 2	0.3916		2.78
[illegible] खां पुत्र छुम्मा मेव सा. देह खातेदार [illegible] एसबीबीजे शाखा तिजारा मु.बि.क.	142	0.08	दहरी	0.57
	143/1	0.0050	दहरी	0.03
	किता 2	0.0850		0.60
[illegible] खुर्शीद पि0 आसीन 1/2 हासब पुत्र [illegible] मेव सा. देह खातेदार	191/1	0.3067	दहरी	2.18
	किता 1	0.3067		2.18
[illegible] कुमार पुत्र घासीराम महाजन सा. तिजारा खातेदार	191/2	0.3066	दहरी	2.17
	किता 1	0.3066		2.17

[illegible] डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा फरीकैन अपना अपना वहन करे।
आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)